ई.वी.एम. के सोर्स सॉफ्टवेयर की जांच की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ई.वी.एम. के हैक होने का खतरा बढ़ जाएगा

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) में इस्तेमाल किए गए सोर्स कोड के ऑडिट की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनील अह्या की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर के स्त्रोत कोड को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ई.वी.एम. के हैक (ई.वी.एम. के किसी अन्य के नियंत्रण में हो जाने) होने का खतरा बढ़ जाएगा।

बैंच ने कहा, हम ऐसे नीतिगत मुद्दे पर याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं। इस अदालत के समक्ष यह संकेत देने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि चुनाव आयोग अपने आदेश को पूरा करने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहा है।''

■ **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हम देश के ऐसे नीतिगत मुद्दे पर छेड़छाड़ करने के इच्छुक नहीं हैं। इस अदालत के समक्ष यह संकेत देने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि, चुनाव आयोग ई.वी.एम. की सुरक्षा व्यवस्था को पूरा करने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहा है।''**

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह सिर्फ ई.वी.एम.के सोर्स कोड के ऑडिट से संबंधित याचिका है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि इस पर संदेह करने के लिए क्या तथ्य है?

इस पर सुनील ने कहा कि चुनाव आयोग ने किसी विशेष मानक का पालन नहीं किया है। उसने किसी भी मानक का खुलासा नहीं किया है। कोई भी ऑडिट मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार होना चाहिए।

उन्होंने दलील दी कि स्त्रोत ई.वी.एम. का दिमाग है और यह मामला लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि उसे पता है कि सोर्स कोड क्या होता है, क्योंकि जब कोई आवेदन शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला जाता है तो उसे सुरक्षा ऑडिट से गुजरना पड़ता है।

जनहित याचिका में एक विशेष मानक आई.ई.ई.ई. 1028 को लागू करते हुए ई.वी.एम. के स्त्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई है। साथ ही मांग की कि स्त्रोत का स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि याचिका 2019 के आम चुनाव से पहले और फिर अप्रैल 2019 में दायर की गई थी।

शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि वह आम चुनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार नहीं कर सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई थी कि वह नये सिरे से आवेदन करें।

इसके बाद सुनील ने 2020 में शीर्ष अदालत के समक्ष एक और जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने उनके तीन अभ्यावेदनों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से भी निराशा

विजयवाड़ा 22 सितंबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले को रद्द करने को लेकर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की याचिका शुक्रवार को रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी ने नायडू की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय ने इस मामले में नायडू तथा अपराध जांच विभाग के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

इस बीच ए.सी.बी. अदालत ने जेल में बंद नायडू को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सी.आई.डी. ने हालांकि अदालत से नायडू को पांच दिन के लिए हिरासत में भेजने की गुहार लगायी थी। अब सी.आई.डी. के अधिकारी उनसे दो दिनों तक इस मामले में पूछताछ करेंगे। ए.सी.बी. अदालत ने सी.आई.डी. के अधिकारियों को नायडू से राजमुंदरी केंद्रीय कारावास में ही सवाल-जवाब करने को कहा है।

ए.सी.बी. अदालत ने सी.आई.डी. अधिकारियों को नायडू के वकीलों की मौजूदगी में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ करने का निर्देश दिया। साथ की पूछताछ के बाद आभासी माध्यम में नायडू को अदालत में पेश करने का निर्देश भी दिया।

चंबल नदी में नहाने गए 6 युवक तेज बहाव में बहे, 3 को बचाया, 3 लापता

देर शाम तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कल फिर से चलेगा

धौलपुर, 22 सितम्बर (निसं)। धौलपुर शहर से गुजर रही चंबल नदी में शुक्रवार सुबह अपने परिजनों के साथ नहाने गये 6 युवक नदी के तेज बहाव में बह गये। जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 3 अभी तक लापता है।

■ **बरसात होने और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है।**

■ **पुलिस टीम और चंबल सफारी के कर्मचारियों की सूझबूझ से तीन युवकों की जान बचाई गई।**

लापता युवकों को खोजने के लिए दिनभर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम और गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन शाम तक कोई पता नहीं चल सका। वहीं शाम को अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। जो शनिवार सुबह फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं इस दौरान नदी में बहे युवकों के परिजनों का इस शोक के कारण रो-रोकर बुरा हाल था।

आपको बता दें कि बरसात होने और गत दिनों कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में इस समय अधिक पानी आ गया है और नदी का बहाव सामान्य से काफी अधिक है। जिस कारण नहाते समय युवक पानी का तेज बहाव होने के कारण नदी में बह गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को धौलपुर में पहाड़ वाले बाबा का मेला लगा था। जिसे देखने के लिए मुरैना, ग्वालियर और बाड़ी के युवक अपने परिजनों के साथ पुराना शहर धौलपुर में अपनी रिश्तेदारी में आए थे। जहां सभी ने रात को पहाड़ पर कव्वाली सुनी। इसके बाद शुक्रवार सुबह सभी लोग परिवार सहित चंबल नदी पर नहाने चले गए। जहां पानी का बहाव तेज होने के कारण 6 युवक पानी में बह गए। जिनमें से तीन जनों ने धौलपुर भरतपुर पेयजल योजना के नीचे लटकी बिजली की केबल पकड़ ली। जिन्हें चंबल चैक पोस्ट के पुलिसकर्मियों के साथ चंबल सफारी के स्टाफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जबकि तीन जने नदी में बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी ओमप्रकाश मीणा, सीओ सिटी सुरेश सांखला और कोतवाल रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। जिन्होंने नदी में तीनों युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया।

कोतवाल रामकिशन यादव ने बताया कि, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहजाद निवासी ग्वालियर, गोलू निवासी धौलपुर और इरशाद निवासी मुरैना को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जबकि नदी के तेज बहाव में मुबारक (19) पुत्र अली निवासी ग्वालियर, लकी (16) पुत्र निसार निवासी पुराना शहर धौलपुर और सूफियाना पुत्र समीर निवासी बाड़ी बह गए हैं। जिनकी तलाश के लिए शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। शनिवार सुबह फिर से ऑपरेशन चलाकर तलाश की जाएगी।

दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी में कम प्रदूषण वाले पटाखों (ग्रीन पटाखे) सहित सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में फायरक्रैकर एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एन.सी.आर.) में पटाखों के निर्माण और उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती।

शीर्ष अदालत ने राजधानी में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर भी सवाल उठाया था। एसोसिएशन ने अपनी याचिका में ग्रीन पटाखों में बेहतर बदलाव के साथ बेरियम नामक रसायन को शामिल कर पटाखे की अनुमति देने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, वहां लोग निर्धारित नियमों के अनुसार अपेक्षाकृत ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह आदेश दीपावली के दौरान प्रदूषण के स्तर और अस्थमा एवं अन्य मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहद खास है।

महाराष्ट्र में छः माह में 1555 किसानों ने आत्महत्या की

नागपुर, 22 सितंबर (वार्ता)। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वाडेत्तीवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में गत जनवरी से जुलाई 2023 तक करीब 1,555 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें नागरपुर संभाग के 144 किसान शामिल हैं।

■ **मराठवाड़ा में सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और विकट हो गई है, पश्चिमी विदर्भ के अमरावती संभाग में सबसे अधिक 637 किसानों ने खुदकुशी की है।**

वाडेत्तीवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मराठवाड़ा में सूखा इस चिंता को और बढ़ा रहा है। पश्चिमी विदर्भ के अमरावती संभाग में सबसे अधिक 637 किसानों ने खुदकुशी की है। वहीं मराठवाड़ा के औरंगाबाद संभाग में 584 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जबकि उत्तरी मराठवाड़ा के नासिक संभाग में 174 किसानों ने आत्महत्या की है। पूर्वी विदर्भ के नागपुर संभाग में 144 किसानों ने इस तरह का कठोर कदम उठाया, जबकि पश्चिमी मराठवाड़ा के पुणे संभाग में 16 किसानों ने आत्महत्या की है।

उन्होंने कहा कि इस साल मराठवाड़ा में 50 फीसदी कम बारिश हुयी। इसी तरह से औरंगाबाद, जलना तथा उस्मानाबाद में क्रमशः 27 फीसद, 43 प्रतिशत तथा 32 फीसदी कम बारिश हुयी है, जबकि बीड तथा परभणी में क्रमशः 43 तथा 31 प्रतिशत कम बारिश हुयी है।

पूर्व मंत्री ने इस संकट की ओर ध्यान नहीं देने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि बारिश की कमी के कारण समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार ने अभी तक स्थिति से निपटने के लिए किसी उपाय की घोषणा नहीं की है।

महिला नेताओं ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। जहाँ 2024 के चुनावों के लिये जातिगत जनगणना एवं ओ.बी.सी. के मुद्दे का अभियान छेड़ने के लिये, इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मौका मिल गया है, वहीं इस मामले में कुछ परेशनियाँ भी हैं। एक- विपक्षी गठबंधन के सभी घटक दल इस मामले में एकमत नहीं है। मुम्बई में हुई इंडिया ब्लॉक की पिछली मीटिंग में, टी.एम.सी. प्रमुख ममता बनर्जी इस रणनीति से असहमत बताई गई हैं कि जातिगत जनगणना को 2024 के चुनावों के लिये बड़ा मुद्दा बनाया जाये। जहाँ राहुल गांधी ने इस संबंध में नई दिशा पकड़ी है, वहीं कांग्रेस के अन्दर के कुछ वर्ग यह महसूस करते बताये जाते हैं कि जातिगत जनगणना को 2024 में प्रचार का बड़ा मुद्दा बनाया जाना नुकसानदेह रहेगा।

चार लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और गाज़ीपुर के लिए उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरु हो चुकी है और नए सांसदों के पास एक साल का समय भी नहीं होगा। ये सीटें मार्च और मई 2023 में रिक्त हुईं थीं। पहली तीन सीटें वहां के सांसदों की मृत्यु होने के कारण तथा गाज़ीपुर सीट वहां के सांसद अफ़ज़ल अंसारी को एक मई को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने के कारण हुई थी।

चीन ने एशियन गेम्स में अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को भाग लेने से रोका

भारत ने चीन के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई और विरोधस्वरूप केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी पूर्व निर्धारित चीन यात्रा रद्द की

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। चीन ने एशियन गेम्स में शामिल होने चीन पहुँचे अरुणाचल प्रदेश के तीन खिलाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया है। भारत ने चीन द्वारा उसके कुछ खिलाड़ियों को 19वें एशियाई खेलों में प्रवेश से वंचित किए जाने पर शुक्रवार को कड़ी आपत्ति व्यक्त की और केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर की चीन यात्रा को रद्द कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज यहां कुछ भारतीय खिलाड़ियों को 19वें एशियाई खेलों में प्रवेश से वंचित किए जाने पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा भारत सरकार को पता चला है कि चीन के अधिकारियों ने निशाना बनाते हुए और पूर्व-निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझू में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है।बागची ने कहा,हमारी लंबे समय से चली आ रही और सुसंगत स्थिति के अनुरूप, भारत, दृढ़ता से भारतीय नागरिकों के साथ उनके निवास स्थान एवं जातीयता के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा।

■ **भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में चीन के समक्ष कड़ा विरोध प्रकट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि, चीन ने खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करके खेल भावना का अपमान किया है।**

उन्होंने कहा, भारत सरकार ने चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और निशाना बनाने को लेकर चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीन का यह कदम एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन है और स्पष्ट रूप से सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धियों के प्रति भेदभाव को प्रदर्शित करता है।प्रवक्ता ने कहा कि चीन के इस कदम के विरोध स्वरूप खेल मंत्री ने अपनी निर्धारित चीन यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वालीं तीन प्रमुख महिला वुशू खिलाड़ियो न्येमान वांग्सू, ओनिल तेगा और मेपुंग लाम्गु को हांगझाउ में होने वाले एशियाई खेलों में अपने यहां आने की इजाज़त नहीं दी।

महिला आरक्षण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, ''सच यह है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण आज ही दिया जा सकता है। यह कोई जटिल मामला नहीं है।''

लोकसभा में अपने इस वक्तव्य पर जोर देते हुए कि भारत सरकार चलाने वाले 90 सचिवों में से केवल 3 ओ.बी.सी. के हैं, राहुल ने कहा, ''मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी रोज ओ.बी.सी. की बात करते हैं लेकिन उनके लिए किया क्या है।''

गांधी ने कहा कि जनगणना और परिसीमन महिलाओं का कोटा टालने के लचर बहाने हैं और यह सारी कवायद केवल एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए है, वास्तव में इसे लागू किए बिना।

राहुल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं को देने के विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को और राज्यसभा ने गुरूवार को पारित कर दिया लेकिन इसकी क्रियान्विति की कोई तारीख तय नहीं की।

कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि ओ.बी.सी. भारत की जनसंख्या का 60 प्रतिशत है और प्रधानमंत्री ने उनके लिए आरक्षण को टालते हुए विधेयक जल्दी पारित करवाया क्योंकि उन्हें चिंता है कि इंडिया गठबंधन अगले चुनावों में भाजपा सरकार को हराने के लिए जातीय जनगणना के लिए दबाव डाल रहा है।

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी करने की मांग वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 11 के तहत आवेदन पर फैसला लंबित है, जो आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा है।

उच्च न्यायालय के मथुरा के विवादित स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी करने से इनकार करने के फैसले को ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

■ **कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर मस्जिद की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने इस मुकदमे पर आपत्ति जताई थी।**

■ **याचिका में दावा किया गया था कि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि परिसर में निर्मित शाही मस्जिद अवैध तरीके से स्थापित की गई है। याचिका में यह भी कहा गया था कि, अगर सर्वे हुआ तो शाही मस्जिद परिसर में मथुरा के कृष्ण मंदिर के कई प्रतीक इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं।**

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि यह दलील नहीं दी जा सकती है कि निचली अदालत के पास आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और यह भी आग्रह नहीं किया जा सकता है कि स्थानांतरण के बाद अकेले उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले की योग्यता (सुनवाई करने योग्य है या नहीं) समेत अन्य पहलुओं पर विचार कर रहा है, लिहाजा याचिकाकर्ता को वहां जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कौल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से पूछा, ''आप एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां क्यों आए हैं।''

इस पर भाटिया ने कहा कि जब मुकदमा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था, तो निचली अदालत को उक्त आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने इस साल जुलाई में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था।

लोकसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिंह ने आश्चर्य जताया कि क्या बिधूड़ी की भाषा आर.एस.एस. में सिखाए गए मूल्यों के कारण है।

आप ने भाजपा सांसद हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को भी लताड़ा जो उस समय हंस रहे थे जब बिधूड़ी दानिश को गालियां दे रहे थे।

एन.सी.पी. के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एक्स पर कहा, ''इस असभ्य और संस्कारहीन बयान के लिए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को निलंबित क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष ओम बिड़ला जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा को उन्हें निलंबित करना चाहिए लेकिन वह उन्हें पदोन्नति देगी।

संसद का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सफलता पर लम्बी चर्चा के बाद, 21 सितम्बर की रात को लोकसभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई।

कर्नाटक में कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तीन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्होंने इस बारे में हाईकमान से निवेदन किया है। मंत्री ने कहा, ''अगर उन्हें यह (सुझाव) ठीक लगता है तो वे इसे क्रियान्वित करेंगे। अगर वे इसे सही नहीं मानते हैं तो वे इसकी उपेक्षा कर देंगे।''

यहाँ यह स्मरण दिलाना उचित होगा कि और ज्यादा उपमुख्यमंत्री बनाने की कोशिश ऐसी चीज होगी जो कांग्रेस के लिये खतरे से भरी हुई होगी क्योंकि यह बात सरकार के गठन के समय ही बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि उपमुख्यमंत्री केवल एक ही होगा तथा इस पद पर डी.के. शिवकुमार होंगे। वस्तुतः दो प्रतिद्वंदियों सिद्धारमैया तथा शिव कुमार के परस्पर टकराने वाली दावेदारी के कारण ही, कांग्रेस सरकार के बनने में कुछ विलम्ब भी हुआ था। अंत में, समझौते के लिये यह फॉर्मूला तय किया गया कि शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद तथा अपनी पसंद का मंत्रालय मिल सकता है तथा इसके साथ ही, उनके समर्थकों को एक निश्चित संख्या में मंत्रालय भी दिये जा सकते हैं।

इस समय पार्टी के अंदर और बाहर इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि तीन उपमुख्यमंत्रियों की माँग को मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों द्वारा शिवकुमार को तंग करने तथा उन्हें उकसाने एवं उत्तेजित करने के लिये हवा दी जा रही है। राजन्ना, जो मुख्यमंत्री के नज़दीक माने जाते हैं, ने ऐसी अटकलों को बकवास बताया है तथा कहा है कि ऐसी अटकलें गलत है। राजन्न ने तीन उपमुख्यमंत्रियों का सुझाव देते हुये कहा था कि लिंगायत, एस.सी./एस.टी. तथा अल्पसंख्यक समुदाय का एक-एक उपमुख्यमंत्री होना चाहिये। उनके अनुसार, तीन उपमुख्यमंत्री होने से कांग्रेस को इन समुदायों का और ज्यादा समर्थन मिलेगा तथा इससे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ''आगामी लोकसभा चुनाव कर्नाटक तथा हमारी पार्टी के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। ज्यादा सीटें जीतना बहुत मुश्किल तथा महत्वपूर्ण होगा तथा (इसलिये) मैंने तीन अतिरिक्त उपमुख्यमंत्रियों का प्रस्ताव पार्टी के हित में ही रखा है।''

उनके इस सुझाव तथा बयानों से सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर एक विवाद एवं तनाव पैदा हो गया है। लेकिन शिवकुमार ने सहकारिता मंत्री की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना उचित समझा है। लेकिन पार्टी प्रवक्ता प्रियांक खड़गे ने कहा है कि नेतागण अपनी राय व्यक्त करने के लिये स्वतंत्र हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा, ''लोग अपनी व्यक्तिगत राय हाईकमान के सामने व्यक्त कर सकते हैं लेकिन, जहाँ तक मैं समझती हूँ, हाईकमान की ऐसी कोई योजना (तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की) नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव से हमारी पार्टी में कोई समस्या पैदा नहीं होगी। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। किसी भी परिवार में मतों की भिन्नता सामान्य बात है।''

खड़गे-राहुल की सभा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फोटो नज़र आ रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि, कांग्रेस आलाकमान बार-बार राजस्थान में एकजुटता की बात करता है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जो सभा होने जा रही है उसके होर्डिंग्स में सचिन पायलट को जगह नहीं मिलना बता रहा है कि कांग्रेस में एकजुटता की बातें बेमानी साबित हो रही हैं।

दूसरी ओर इस सभा में भीड़ के लिए कांग्रेस के 52 हजार से ज्यादा बूथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिलाध्यक्षों को मिलाकर करीब 60 हजार के आसपास पार्टी पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है। इनके अलावा जयपुर और आसपास के जिलों से भी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है।

वैसे बूथ, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के जरिए कांग्रेस 60 हजार लोगों को बुलाने की बात तो कर रही है, लेकिन असल में कांग्रेस ने जयपुर और आसपास के जिलों के नेताओं को भीड़ लाने का लक्ष्य दिया है। जयपुर शहर में ही हर विधानसभा से हर विधायक या विधायक प्रत्याशी को कम से कम 3 हजार लोग लाने को कहा गया है। लेकिन, दो दिन पहले ही जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक कार्यक्रम में जयपुर के तीन मंत्री 500 लोग भी नहीं जुटा पाए थे, तो वो ही नेता एक-एक विधानसभा क्षेत्र से 3 हजार लोग ला पाएंगे, इसमें संशय नज़र आ रहा है।

इस सभा और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका में भी जाएंगे, जहाँ, गांधी वाटिका के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है।

प्र.मंत्री मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार के फायदे गिनाये

मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक का उदाहरण देते हुये कहा कि, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो शायद ऐसा ऐतिहासिक विधेयक कभी पारित नहीं हो पाता

नई दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नारीशक्ति वंदन अधिनियम को उभरते भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक करार दिया है और चेताया है कि देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे निर्णायक कानून बनाने में सक्षम पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बहुत आवश्यक है। मोदी ने आज सुबह यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यी बात कही। मोदी के सुबह भाजपा मुख्यालय में पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी का फूल बरसा कर भव्य स्वागत किया।

भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनती श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। पार्टी मुख्यालय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सभी महिला मंत्री और पार्टी की सभी महिला सांसद भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी को एक बड़ी सी माला पहना कर उनका अभिनंदन किया। मंच पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं।

प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन-अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित महिला वृंद को संबोधित करते महिला आरक्षण विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह देश के लिए एक विशेष क्षण, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष दिन है।

■ **महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर भाजपा की महिला इकाई ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्र.मंत्री मोदी के स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया।**

उन्होंने कहा, मैं आज देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल और परसो हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि-कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं।

मोदी ने कहा, कभी-कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। ....संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं।

उन्होंने कहा, कोटि-कोटि माताओं, बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है। इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए गर्व का विषय है।

मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ा कदम है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए, इस कानून के लिए तीन दशक से प्रयास कर रही थी। ये हमारी प्रतिबद्धता थी। इसे हमने पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह कानून उभरते भारत की नवीकृत लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करने की उनकी प्रतिबद्धता का एक ठोस प्रमाण है, जिसका लक्ष्य महिलाओं के जीवन स्तर और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908